कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

पत्रांक :– /एडिप–वयोश्री यो0/उप0वित0शि0/2024–25 दिनांक :– सितम्बर 2024

आदेश

मा0 सांसद जी, ललितपुर–झाँसी संसदीय क्षेत्र के निर्देश के क्रम में भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजनान्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों एवं एडिप योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों को नित्य जीवन सहायक उपकरण हेतु जनपद झाँसी के समस्त ब्लॉक एवं नगर निगम झाँसी में क्रमशः दिनांक 29.07.2024 से दिनांक 06.08.2024 एवं पुनः दिनांक 17.08.2024 से दिनांक 30.08.2024 तक चिन्हांकन शिविर का आयोजन कर एडिप योजनान्तर्गत कुल–931 दिव्यांगजनों एवं वयोश्री योजनान्तर्गत कुल–1099 वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हांकन किया गया था। उक्त चिन्हित किये गये दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर द्वारा मा0 सांसद जी, मा0 विधायकगण एवं मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में निम्नलिखित तिथियों पर प्रातः 11:00 बजे वितरण शिविर का आयोजन कर सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया जाएगा–

क्र0सं0	दिनांक	आयोजन स्थल	लाभान्वित क्षेत्र	एडिप योजनान्तर्गत चिन्हित दिव्यांगजनों की संख्या	वयोश्री योजनान्तर्गत चिन्हित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	कुल चिन्हित लाभार्थियों की संख्या
1	01-10-2024	, बुन्देलखण्ड कॉलेज झाँसी के प्रांगण में	झाँसी, बबीना, बड़ागांव, चिरगांव	315	468	783
2	03-10-2024	विकासखण्ड कार्यालय–मोंठ	मोंठ	128	86	214
3	03-10-2024	विकासखण्ड कार्यालय–गुरसरांय	गुरसरांय, बामौर	201	154	355
4	05-10-2024	विकासखण्ड कार्यालय–बंगरा	बंगरा, मऊरानीपुर	287	391	678
			योग	931	1099	2030

अतः उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए अपनी देखरेख में निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये–

क्र0सं0	संबंधित अधिकारी का विवरण	अपेक्षित कार्यवाही
1	पुलिस अधीक्षक, झांसी।	कार्यक्रम स्थल पर कानून एवं ट्रैफिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल (महिला एवं पुरूष) की व्यवस्था हेतु अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2	अपर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।	कार्यक्रम स्थल की साफ–सफाई एवं पानी के 02 टैंक तथा दो मोबाइल टायलेट की व्यवस्था हेतु अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3	जिला अग्निशमन अधिकारी, झांसी।	कार्यक्रम स्थल पर अग्निशमन दल की उपस्थिति कराना सुनिश्चित करें।
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झांसी	कार्यक्रम स्थल पर कैम्प स्थापित कर कम से कम 02 डॉक्टर को पैनल के साथ 01 एम्बुलेंस सहित उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5	अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड झांसी	कार्यक्रम में करायी जा रही विद्युत व्यवस्था अपनी देख–रेख में कराना सुनिश्चित करें।
6	जिला खाद्य अधिकारी, झांसी एवं अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा, झांसी	वितरण शिविर स्थल पर खान–पान व्यवस्था के पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करायें।
7	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, झाँसी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी।	एडिप योजनान्तर्गत उपकरण वितरण हेतु जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी एवं वयोश्री योजनान्तर्गत उपकरण वितरण हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। समस्त अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक व्यवस्था कराने के साथ ही शिविर में कार्मिकों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें। अवशेष उपकरणों को अपनी अभिरक्षा में लेना एवं एलिम्कों को टेस्ट चेक/प्रमाण–पत्र प्रदान करना।
8	जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, झांसी	भारतीय कृत्रिम निर्माण निगम, कानपुर द्वारा आपूर्तित किये जाने वाले उपकरणों की देख–रेख हेतु 01 पी0 आर0 डी0 जवान कीरात्रि में बुन्देलखण्ड डिग्री कॉलेज, झांसी के प्रांगण में कार्यक्रम की समाप्ति तक ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें।

	कॉलेज, झाँसी	डिग्री कॉलेज झाँसी का प्रांगण दिनांक 28.09.2024 से दिनांक 04.10.2024 तक के लिए आरक्षित करना सुनिश्चित करें।
10	खण्ड विकास अधिकारी, चिरगांव	दिनांक 03 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले वितरण शिविर हेतु विकासखण्ड कार्यालय का प्रांगण दिनांक 28.09.2024 से दिनांक 04.10.2024 तक के लिए आरक्षित करते हुए उपकरणों की प्राप्ति हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर तत्काल जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी झाँसी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अवशेष उपकरणों को अपनी अभिरक्षा में लेना एवं एलिम्कों को टेस्ट चेक/ प्रमाण–पत्र प्रदान करना।
11	खण्ड विकास अधिकारी, गुरसरांय	दिनांक 03 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले वितरण शिविर हेतु विकासखण्ड कार्यालय का प्रांगण दिनांक 28.09.2024 से दिनांक 04.10.2024 तक के लिए आरक्षित करते हुए उपकरणों की प्राप्ति हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर तत्काल जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी झाँसी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, झाँसीको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अवशेष उपकरणों को अपनी अभिरक्षा में लेना एवं एलिम्कों को टेस्ट चेक/ प्रमाण–पत्र प्रदान करना।
12	खण्ड विकास अधिकारी, बंगरा	दिनांक 05 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले वितरण शिविर हेतु विकासखण्ड कार्यालय का प्रांगण दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 06.10.2024 तक के लिए आरक्षित करते हुए उपकरणों की प्राप्ति हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर तत्काल जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी झाँसी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अवशेष उपकरणों को अपनी अभिरक्षा में लेना एवं एलिम्कों को टेस्ट चेक/ प्रमाण–पत्र प्रदान करना।
13	जिला सूचना अधिकारी, झाँसी।	उक्त वितरण शिविर के संबंध में समस्त दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन के साथ ही मीडिया को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
14	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) कानपुर	कार्यक्रम को सम्पन्न कराने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं कराना, बैकड्रॉप, एल0ई0डी0, जल–पान, माननीय अतिथिगण के स्वागत हेतु पुष्प माला/बुके आदि की व्यवस्था करना।

(अविनाश कुमार)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी,
झाँसी।

पृ0सं0 व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– मा0 सांसद जी, ललितपुर–झाँसी की सेवा में सादर अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।
02– मा0 विधायक जी, सदर, झाँसी।
03– मा0 विधायक जी, विधानसभा क्षेत्र–मऊरानीपुर।
04– मा0 विधायक जी, विधानसभा क्षेत्र–गरौठा।
05– मा0 विधायक जी, विधानसभा क्षेत्र–बबीना।
06– निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
07– पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
08– मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी।
09– अपर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।
10– महाप्रबंधक, (विपणन) एलिम्को, कानपुर।
10– वरिष्ठ प्रबंधक (विपणन) एलिम्को, कानपुर।
11– उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, झाँसी मण्डल, झाँसी।
12– समस्त संबंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी,
झाँसी।